फर्द अहकाम

समुन्द्र सिंह बनाम बलवंत व अन्य

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड

केस संख्या ...03...... / 2024 प्रा0पत्र मुन्तकिल

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/2/24	... पेश हुई। आज बार संघ कोटपूतली–बहरोड़ ... का ज्ञापन दिया है। पत्रावली वास्ते पूर्व ...ानुसार अग्रिम ...ी हेतु दिनांक......12.3.24........ हो। रीडर	
	12/3/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीपक्ष उपस्थित। इन्तजार प्राप्त होने टिप्पणी SDO नीमराणा से हेतु दिनांक 19/3/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
	19/3/24	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उ... ...त /अनुपस्थित/पीठासीन अ... ...श /दौरे/मिटिंग/अन्य कार्य में ... ...ो पूर्व आदेशानुसार दिनांक..3/5/24... हो। रीडर	
	3/5/24	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील अप्रार्थी भी उपस्थित। SDO नीमराणा से जिन्सवार टिप्पणी प्राप्त नहीं होने से इन्तजार टिप्पणी प्राप्त होने हेतु पत्रावली दिनांक 16/5/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
	16/5/24	पत्रावली आज पेश हुई उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से जिन्सवार टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील उभय पक्ष की बहस तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में बताये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 03 / 2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 10.01.2024 निर्णय दिनांक : 16.04.2024

1. समुन्द्रसिंह बनाम जैतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास हसिंल तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

प्रार्थी

बनाम

1. बलवंत पुत्र कुरडाराम जाति अहीर निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ
2. छोटेलाल पुत्र दुलीचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम डाबडवास हसिंल तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराणा
4. पीठासीन अधिकारी पंकज बड़गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 255 / 2023 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 199 / 2023 बउनवानी समुन्द्रसिंह बनाम बलवंत को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा, श्री अनुप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हंसराज यादव अप्रार्थी नं0 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–16.04.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष प्रकरण संख्या 255 / 2023 ब उनवानी समुन्द्रसिंह बनाम बलवंत विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर बिना प्रार्थी को सूचित किये आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.12.2023, 12.12.2023, 18.12.2023 व उसके पश्चात दिनांक 20.12.2023, 21.12.2023, 26.12.2023, 02.01.2024, 08.01.2024, 10.01.2024 व

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

16.01.2024 नियत की गयी। अप्रार्थी येन–केन प्रकरण में बिना प्रार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये प्रार्थी के हक मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 04.07.2023 को निरस्त करवाने पर आमादा हैं। प्रार्थी ने अनेको बार अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता को पीठासीन अधिकारी के निवास स्थल व निजी कार्यालय में आते–जाते देखा है तथा पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दवाब में होने से प्रार्थी को उनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कतई नही है। इसलिए उपरोक्त पत्रावली का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी नीमराणा व बहरोड के राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त जिले के अन्यत्र न्यायालय में किया जाना न्यायसंगत है।

5. अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि स्वयं प्रार्थी द्वारा दिनाक 04–07--2023 को अप्रार्थी गलत तथ्यो के आधार पर दावा प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। अप्रार्थी उक्त स्थगन आदेश से आहत होकर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने हेतु निवेदन किया है, जिसमें तारीख पेशी 16.10.23 नियत की गई उस दिन अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित रखे जाने पर आगामी तारीख पेशी 13.03.2024 नियत की गई। प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अप्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में जाहिर किया कि प्रकरण वर्तमान में वादपत्र के जवाब में नियत है प्रार्थी द्वारा गलत एवं मनगढंत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नही किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड